न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 290/2022
जीएसएमएस सं. – 2022/396

–:: प्रार्थी ::–
रामप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति जाट
निवासी खारिया ढढेसरी तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
1. रामकुमार पुत्र भंवरलाल
2. इमली देवी पत्नि भंवरलाल
जातियान जाट निवासीगण ग्राम खारिया ढढेसरी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 07.11.2022

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री रामदयाल चौधरी, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 09.02.2023

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि यह है कि ग्राम ढढेसरी, तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या।व 2 की पुश्तैनी कृषि भूमियाँ खसरा नं. 251 रकबा 0. 0971 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल, खसरा नं. 273 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल, खसरा संख्या 453 रकबा 0.1052 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल, खसरा संख्या 511/1 रकबा 0.2914 हैक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा संख्या 610/1 रकबा 0.3157 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 611/1 रकबा 0. 3642 हैक्टेयर कुल खसरे 6 कुल रकबा 1.3517 हैक्टेयर जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 195 व पुराना 269 पर इन्द्राजसुदा हैं। इसी प्रकार ग्राम ढढेसरी की राजस्व सीमा में स्थित खसरा संख्या 714/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 22 व पुराना 223 पर इन्द्राजसुदा है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि हैं। इसी प्रकार ग्राम ढढेसरी की राजस्व सीमा में प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 452 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म सेवज अव्वल जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 196 य पुराना 201 पर इन्द्राजसुदा है तथा खसरा संख्या 658 रकबा 0.8660 हेक्टेयर किस्म बारानी ए जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 188 व पुराना 287 पर इन्द्राजसुदा है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयो के नाम से संबोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजीयाँ खसरा संख्या 251 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1 प्रार्थी के पिता स्व. भंवरलाल की

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

खातेदारीसुदा कब्जासुदा भूमियों रही हैं। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी रही हैं। प्रार्थी के पिता भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 14.10.2022 को हो गया था। भंवरलाल के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को विरासत से प्राप्त हुई। स्व. भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही आज से करीब 7–8 वर्ष पूर्व अपने दोनों पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 – 1/2 हक हिस्सा दे दिया था। उक्त हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 714/1 का बंटवाडा आज से करीब 3 वर्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति मध्य हो गया था। बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 714/1 का 1/2 वॉ हिस्सा प्रार्थी के बंट में रखा व 1/2 वाँ अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में रखा। इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति की भूमि खसरा संख्या 452 व 658 बंटवाड़ा आधा से करीब 3 वर्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति मध्य हो गया था। बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 452 658 का 1/2 वॉ हिस्सा प्रार्थी के बट में रखा व 1/2 वॉ अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में रखा। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयों में प्रार्थी का 1/2 वॉ हिस्सा एवं प्रतिपप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है क्योंकि स्व. भवरलाल एवं उनकी पत्नी इमलीदेवी अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 है। स्व. भंवरलाल के जीवनकाल में ही भंवरलाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 इमलीदेवी ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयों को अपने दोनो पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को बंट में दे दी थी वादग्रस्त आराजीयों में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कार्य एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थी के पिता की खातेदारी की कृषि भूमियाँ होने एवं पुश्तैनी भूमियों होने से प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयो पर कब्जा काश्त होने से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयो के खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं इस पर बाद बाबत घोषणा खातेदारी का पेश किया जा चुका हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित आराजीयाँ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता की खातेदारी कब्जासुदा एवं पुश्तैनी भूमियाँ रही हैं प्रार्थी के पिता स्व. भवरलालजी ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्रों को उक्त वादग्रस्त आराजीयों में 1/2–1/2 हक हिस्सा दे दिया था। उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयों पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयाँ प्रार्थी के पिता स्वर्गीय भंवरलाल के खातेदारी कब्जासुदा एवं पुश्तैनी थी जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयाँ पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने–अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कार्य करते आ रहे हैं इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई हैं। वादग्रस्त आराजीयो पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आज दिन तक अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कार्य करते आये हैं वादग्रस्त आराजीयो का आज दिन तक माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है वादग्रस्त आराजीयों अविभाजित कृषि भूमियाँ हैं जिसका प्रार्थी माप व सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है इस पर वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश किया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय भंवरलाल के पुत्र है। वादग्रस्त आराजीयो पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हक हिस्से अनुसार काश्तकार की हैसियत से काबिज हैं एवं

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

काश्त कार्य करते आ रहे हैं वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थी के पिता स्व. भंवरलाल की खातेदारी भूमि होने एवं पुश्तैनी भूमिया होने से प्रार्थी को इस वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादग्रस्त आराजीया खसरा नं. 452, 658, 251 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1, 714/1 में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2– 1/2 वॉ हक हिस्सा बनता है क्योंकि हिन्दु विधि के अनुसार उक्त भूमि में स्व. भवरलाल के पुत्रों का बराबर बराबर हिस्सा बनता है। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 झगडालु प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयों से बेदखल करने पर उतारू हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयों का बंटवाड़ा हिन्दु विधि के नियमानुसार करवाने को कहा जिस पर अप्रार्थी संख्या प्रार्थी से नाराज हो गया तथा दिनांक 02.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को ऐलानियाँ धमकियाँ दी कि वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थी को बेदखल कर देंगा व वादग्रस्त आराजीयों को बेचान हस्तांतरण कर देंगा जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। जिसके लिए प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में पेश करना पड़ रहा हैं। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थी के पिता स्व. भंवरलाल की खातेदारीसुदा कब्जासुदा व पुश्तैनी भूमियाँ हैं। प्रार्थी के पिता भंवरलाल का स्वर्गवास दिनांक 14.10.2022 को हो गया हैं। भंवरलाल के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजीयों प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई। स्व. भवरलालजी ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्रों को उक्त वादग्रस्त आराजीयों में 1/2–1/2 हक हिस्सा दे दिया था। उक्त हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व वादग्रस्त आराजीयों में अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजीयों से प्रार्थी को बेदखल कर दिया व वादग्रस्त आराजीयों का बैचान हस्तांतरण कर दिया अथवा खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी अपने हक हिस्से से वंचित हो जाएगा तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रुपयों पैसों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाइ जाये कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान ग्राम ढढेसरी की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजींयों खसरा नं. 251 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नं. 273 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 453 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 511/1 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, खसरा संख्या 610/1 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 611/1 रकबा 0. 3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 714/1 रकबा 0.7527 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा संख्या 658 रकबा 0.8660 हैक्टेयर में प्रार्थी के 1/2 वॉ हक हिस्से के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या व 2 बैचान हस्तांतरण नहीं करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमायें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमायें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पिपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया

CamScanner

और जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार से है प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद एवं प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर एवं स्व. भंवरलाल का फोतेदगी म्यूटेशन को रोकने के आशय से विधिविरूद्ध तरीके से पेश किया हुआ होने से प्रार्थी को प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में सफलता मिलने की कोई गुंजाईस नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 251 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1 एवं खसरा नम्बर 452 व 658 वाली भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो की पैतृक, पुश्तैनी, सहदायगी कृषि भूमियां है उक्त पद मे अंकित खसरान् के अलावा भी स्व. भंवरलाल जी की पुश्तैनी बन्टसुदा कृषि भूमियां ग्राम ढढेसरी व ग्राम खारिया खंगार की राजस्व सीमा में आई हुई है जिसको प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र में सम्मिलित नहीं किया है जिसके लिए अप्रार्थी संख्या एक व दो अलग से वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । खसरा नम्बर 714/1, प्रतिवादी/अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि है जो विवादित नही हैं। स्व. तेजाराम पुत्र भंवरलाल का नाम वंशावली में अंकित नहीं किया है, तेजाराम का स्वर्गवास दिनांक 24.09.2018 को हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 251 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1 स्व. भंवरलाल जी की पैतृक भूमियां है जो स्व. भंवरलाल जी को बन्टवाड़ा में प्राप्त हुई है प्रार्थी का यह कथन सही है कि उक्त पद में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या एक व दो की पुश्तैनी रही है। भंवरलाल के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि– स्व. भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही आज से करीब 7–8 वर्ष पूर्व अपने दोनो पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक को उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2–1/2 हक हिस्सा दे दिया था उक्त हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। जबकि वास्तविकता में सात–आठ वर्ष पहले स्व. भंवरलाल जी के तीन पुत्र रामप्रकाश रामकुमार व तेजाराम जिवित थे इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक को 1/2–1/2 हक हिस्सा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि– खसरा नम्बर 714/1 व खसरा नम्बर 452 व 658 का बन्टवाड़ा आज से करीब 3 वर्ष प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता/पति के मध्य हो गया था। प्रार्थी ने उक्त पद में गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त पद में वर्णित वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी भूमियां है इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमियों में स्वर्गीय भंवरलाल के स्वर्गवास होते ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजीयां उनके दोनो पुत्र प्रार्थी य अप्रार्थी संख्या एक एवं पत्नि अप्रार्थी संख्या तीन में निहित हो गई है। कानूनन वादग्रस्त आराजी में खसरा नम्बर 714/1 को छोड़कर प्रार्थी संख्या एक का 1/3 वां हिस्सा. अप्रार्थी संख्या एक का 1/3 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 वां हिस्सा कानूनन निहित है। उक्त हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी एवं प्रार्थी संख्या एक व दो सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का यह कथन गलत है. कि "स्व. भंवरलाल ने जीवनकाल में ही भवरलाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 इमली देवी ने सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयों को अपने दोनो पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को बन्ट में दे दी थी।" जबकि वास्तविकता में स्व भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी पुश्तैनी बन्दवाड़ासुदा भूमियों का बन्टवाड़ा नहीं किया था। प्रार्थी ने स्व. भंवरलाल की वृद्वावस्था का नाजायज फायदा उठाकर पुश्तैनी बन्टसुदा भूमि खसरा नम्बर 630/1 क्षेत्रफल 1.0659

सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा पुर (जोधपुर)

हैक्टेयर भूमि की बेचान रजिस्ट्री अपनी पत्नि भगवती देवी के नाम करवा ली है एवं अन्य पुश्तैनी बन्टसुदा भूमियो के भी दस्तावेज प्रार्थी ने बनाये होंगे जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या एक व दो को नही है। वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार होने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 वां हिस्सा ही है उक्त हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी का 1/3 हिस्से पर कब्जाकाश्त है व 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या एक का एवं 1/3 हिस्से अप्रार्थी संख्या दो का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयां प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमियां है जिसमें अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 हिस्सा कानूनन निहित है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों को उक्त वादग्रस्त आराजीयो में 1/2 – 1/2 हक हिस्सा दे दिया था। स्व. भवरलाल में अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक को उक्तानुसार हिस्सा नहीं दिया था वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो का बराबर बराबर हक व हिस्सा कानूनन निहित है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या दो के 1/3 वें हिस्से की भूमि हड़प करने की 1 नियत से उक्त असदभाविक वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। कानूनन अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 वां हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में निहित है एवं अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 वें हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो माफिक हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्तकार्य कर रहे है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के मध्य मांप व सीमांकन के बन्टवाड़ा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी ने स्व. भंवरलाल के विरासत का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत होने से रोकने की नियत से तथा अप्रार्थी संख्या दो के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने की नियत से उक्त असद्‌भाविक वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज फरमाया जायें। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या एक का 1/3 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 वां हिस्सा कानूनन निहित है उक्त हक हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कार्य कर रहे है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा नहीं है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या एक झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयों से बेदखल करने पर उतारू है जबकि वादग्रस्त आराजीयां पुश्तैनी सहदायगी भूमियां है जिस पर प्रार्थी का 1/3 हक हिस्से पर शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या एक झगडालू व्यक्ति नहीं है प्रार्थी व प्रार्थी के हितबद्ध लोग, बदमाश लोग है जिन्होने अप्रार्थी संख्या एक पर पूर्व में जान लेवा हमला करवाया था, जो प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। प्रार्थी ने कभी भी बन्टवाड़ा हेतु अप्रार्थी संख्या एक व दो को नहीं कहा इसलिए दिनांक 02.11.2022 को प्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा एलानिया धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या एक व दो से मिला ही नहीं तो उक्त दिनांक को धमकी देने का, बेदखल करने का, बैचान हस्तान्तरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है प्रार्थी ने उक्त पद में बनावटी तथ्य अंकित किये है। मात्र अप्रार्थी संख्या एक व दो को अपनी पुश्तैनी सहदायगी भूमियों से महरूम करने की नियत से एवं फौतेदगी म्यूटेशन रोकने हेतु उक्त असदभाविक विधिविरूद्ध वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथमदृष्टया मामला है न ही सुविधा का सन्तुलन है क्योंकि प्रार्थी स्व. भंवरलाल के फौत होने

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

पर विरासत का नामान्तरकरण रूकवाने हेतु प्रार्थी ने उक्त असद्भाविक वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश होने से अप्रार्थी संख्या एक व दो अपनी पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमियों से महरूम हो रहे है अप्रार्थी संख्या एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हो रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर माननीय न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से तथा विधिविरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें ।

हमने बहस वकुलाय सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का परिशीलन किया गया । प्रथम दृष्टयता, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का परिशीलन किया गया।

प्रथम दृष्टयता मामला – ग्राम ढढेसरी की जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 251, 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1 कुल खसरे 6 रकबा 1.3517 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जमाबंदी सम्वत् 2074–277 के अनुसार 714/1 की भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम व खसरा नम्बर 452, 658 की भूमि राजसव रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 के पिता व पति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह वर्णन किया गया है कि प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 को 1/2–1/2 हक हिस्सा दे दिया था । उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है वही अप्रार्थी के वकील का कहना है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई बंटवाड़ा नही किया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 का 1/3 हक हिस्सा नीहित है एवं अप्रार्थीगण वकील द्वारा माना है कि उक्त विवादग्रस्त सम्पति खसरा नम्बर 251, 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1, 452, 658 पैतृक भूमि है। अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के पद सं. 7 के जवाब में बताया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 251, 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1, 452, 658 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2 का 1/3–1/3 हक हिस्सा नीहित है। अतः अप्रार्थी वकील भी यह मान रहे है कि वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी पैतृक सम्पति है । जहां तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व वाद के अधिकारो की घोषणा को लेकर जो इस्तदुआ है व मूल वाद में साक्ष्यो के आधार पर विवाधक बिंदु कायम कर निर्धारित किए जायेगे। तब तक विवादग्रस्त भूमि में अगर बेचान, हस्तान्तरण, होगे तो वाद बहुलता बढेगी। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं।

अपूरणीय क्षति – जहां तक प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमियो को पैतृक पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति मानने को लेकर प्रस्तुत तथ्यो के संबंध में अप्रार्थीगण वकील द्वारा अपने जवाब में भी बताया है कि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण का विवादग्रस्त भूमि 1/3–1/3 पर कब्जा काश्त है यानि अप्रार्थी वकील भी इस तथ्य से सहमत है कि विवादग्रस्त भूमि पुश्तैनी सहदायिगी सम्पति है व प्रार्थी व अप्रार्थीगण का इसमें हक अधिकार है । विस्तृत अधिकार मूल वाद में तय होगे परंतु तब तक अगर विवादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द किया जावेंगा । तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं ।

उपखण्ड अधिकारी

सुविधा का संतुलन – चूंकि प्रथमदृष्टतया मामला व अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाता हैं।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफेसला मूल वाद पाबंद किया जाता है कि वो ग्राम ढढेसरी तहसील पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 251, 273, 453, 511/1, 610/1, 611/1, 714/1, 452, 658 में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर